[2018] 6 एस.सी.आर. 1099

केंद्रीय उत्पाद आयुक्त, इंदौर

बनाम

मेसर्स ग्रैसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सेक्रेटरी

(सिविल अपील संख्या 3159/2004)

11 मई, 2018

[रंजन गोगोई, एन. वी. रमन्ना, आर. भानुमति, मोहन एम. शांतनगौदर और

एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्तिगण]

केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 – धारा 3 और 4 – चाहे धारा 4 हो केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 (1–7–2000 से प्रतिस्थापित) और उपधारा के खंड (डी) में "लेनदेन मूल्य" की परिभाषा धारा 4 के (3) अधिनियम की धारा 3 के अधीन हैं – आयोजित: टिप्पणियाँ एसर इंडिया लिमिटेड में इस आशय से बनाया गया कि ' लेन–देन मूल्य' परिभाषित है की धारा 3 में निहित चार्जिंग प्रावधानों के अधीन होगा अधिनियम को एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में देखा जाएगा जहां एक अतिरिक्त एक गैर–शुल्क योग्य वस्तु के मूल्य का भुगतान करने की मांग की गई थी निर्धारण के प्रयोजन के लिए शुल्कयोग्य वस्तु का मूल् समग्र वस्तु का लेन–देन मूल्य – यह सीमित संदर्भ है जिसमें धारा 4(3)(डी) की धारा 3 के अधीनता व्यक्त की गई थी और है समझा जाना – यदि समझा जाए तो उसमें व्यक्त किए गए विचार एसर इंडिया लिमिटेड मामले के पैराग्राफ को विरोधाभासी नहीं माना जा सकता बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड के निर्णय के साथ।

केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944–धारा.3 और 4–चाहे एसएस।अधिनियम के 3 और 4 आपस में जुड़े होने के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं–आयोजितःएस में विचार किए गए उदग्रहण का माप।अधिनियम की धारा 4 उदग्रहण की प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं है–जब तक कि उदग्रहण के उपाय और प्रकृति दोनों के बीच एक उचित संबंध स्पष्ट है धाराएं।3 और 4 अपने–अपने क्षेत्रों में काम करेंगे– बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड में इस संबंध में कानून सही व्याख्या के रूप में विचार अभिव्यक्त किये है।

केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944–धारा.3 और 4–क्या "लेन–देन मूल्य" की अवधारणा पूर्ववर्ती धारा 4 (1) (ए) की मानी गई सामान्य मूल्य अवधारणा से कोई भौतिक विचलन करती है।अधिनियम के –आयोजितः"लेन–देन मूल्य" जैसा कि धारा 4 (3) (घ)में परिभाषित किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा लागू किया गया, जो पुरानी धाराओं के तहत 'सामान्य मूल्य' में जोड़ को वैधानिक रूप से शामिल करता है।धारा4 जैसा कि में अनुमेय माना गया है बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड में शुरू किए गए उत्पाद शुल्क के बदले हुए विवरण को प्रभावी बनाने के अलावा।2000 के संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 3–'लेन–देन मूल्य' की वैधानिक अवधारणा और 'सामान्य मूल्य' के न्यायिक रूप से विकसित अर्थ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।

निर्दिष्ट विवाधक का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित:1. केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 की धारा 3 में "सभी अबकारी वस्तुओं पर आबकारी" शब्दों के स्थान पर "सभी उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) कहे जाने वाले उत्पाद शुल्क" शब्दों का संशोधन स्पष्ट है।अधिनियम की धारा 3 का संशोधन न केवल उत्पादन के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि पर कर लगाने की परिवर्तित अवधारणा की अनिवार्यताओं को शामिल करता है, बल्कि उस कानून में भी शामिल करता है जिसे न्यायिक रूप से विनिर्माण व्यय में अनुमेय वृद्धि माना गया था और बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड में विनिर्माण लाभ। यह धारा 3 के प्रावधानों में अंतर्निहित मूल्य वर्धित कराधान की अवधारणा की शुरुआत से मौलिक परिवर्तन वास्तव में अधिनियम की धारा 4 (3) (डी) द्वारा परिभाषित 'लेनदेन मूल्य' की परिभाषा में प्रतिबिंबित होता है, इसके अलावा जो स्पष्ट रूप से बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड में अनुमेय माना गया था उसे शामिल किया जाता है।4 (3) (घ), इस प्रकार, 'लेन–देन मूल्य' को परिभाषित करता है, जिसमें विशेष रूप से विनिर्मित वस्तु की मंजूरी से पहले किए गए सभी मूल्य परिवर्धन को शामिल किया जाता है, जैसा कि उदग्रहण के उद्देश्य के लिए ली जाने वाली कीमत के लिए अनुमेय परिवर्धन।ए[Para 21][1119–B–F]

2. उक्त मामले में एसर इंडिया लिमिटेड में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सॉफ़्टवेयर जो शुल्क मुक्त वस्तुएँ बनाते हैं और जिनका लेनदेन किया जा सकता है क्योंकि सॉफ़्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जोड़ा जाने लगा जो निकासी के उद्देश्यों के लिए एक शुल्क योग्य वस्तु थी।राजस्व ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मूल्य या कंप्यूटर के संबंध में 'लेनदेन मूल्य' के निर्धारण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहा।इस न्यायालय ने राजस्व के रुख को यह विचार रखते हुए अस्वीकार कर दिया कि जब सॉफ्टवेयर एक अलग वस्तु के रूप में देय नहीं था तो कंप्यूटर की हार्ड–डिस्क में इसका समावेश सॉफ्टवेयर के शुल्क दायित्व को बदल नहीं सकता है ताकि शुल्क लगाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर की कीमत/मूल्य को जोड़ने की अनुमति दी जा सके।यह उपरोक्त संदर्भ ए में है कि एसर इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय को समझना होगा।पैराग्राफ 84 में इस आशय की टिप्पणियां की गई हैं कि अधिनियम की धारा 4 (3) (डी) में परिभाषित 'लेन–देन मूल्य' अधिनियम की धारा 3 में निहित प्रभार प्रावधानों के अधीन होगा, जिसे ऐसी स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहां समग्र वस्तु के लेन–देन मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से किसी गैर–देय वस्तु के मूल्य को किसी देय वस्तु के मूल्य में जोड़ने की मांग की गई थी।यह वह सीमित संदर्भ है जिसमें अधिनियम की धारा 4 (3) (डी) की धारा 3 के अधीनता व्यक्त की गई थी और इसे समझना होगा।यदि ऐसा समझा जाए, तो एसर इंडिया लिमिटेड में व्यक्त किए गए विचारों को बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड के निर्णय के विपरीत माना जा सकता है। [Para 22][1119–F–H; 1120–A–C]

3. अधिनियम की धारा 4 में अनुध्यात शुल्क का उपाय शुल्क की प्रकृति से नियंत्रित नहीं होगा।जब तक माप और उदग्रहण की प्रकृति के बीच एक उचित संबंध स्पष्ट है, तब तक धारा 3 और 4 दोनों अपने–अपने परिणामों में काम करेंगे।बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड में व्यक्त किया गया विचार इस संबंध में कानून की सही व्याख्या है।इसके अलावा, संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा लागू की गई धारा 4 (3) (डी) में परिभाषित "लेन–देन मूल्य", 2000 के संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 3 में लागू उत्पाद शुल्क के बदले हुए विवरण को प्रभावी बनाने के अलावा, बॉम्बे टायर इंटरनेशनल

लिमिटेड में अनुमत पुरानी धारा 4 के तहत 'सामान्य मूल्य' में सांविधिक रूप से परिवर्धन को शामिल करता है।वास्तव में, 'लेन–देन मूल्य' की वैधानिक अवधारणा और 'सामान्य मूल्य' के न्यायिक रूप से विकसित अर्थ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।

भारत संघ और ओआरएस. v.बॉम्बे टायर इंटरनेशनल

लिमिटेड और ओआरएस। [1984] 1 एससीआर 347:(1984) 1 एस. सी. सी. 467–पुष्ट

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पांडिचेरी बनाम एसर

इंडिया लिमिटेड [2004] 4 पूरक।एससीआर 676:(2004) 8 एससीसी 173;

सी. सी. ई. इंदौर बनाम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2009] 12

एससीआर 204:(2009) 14 एस. सी. सी. 596;

सी. सी. ई. इंदौर बनाम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2016) 6 एस. सी. सी. 391

मद्रास बनाम मेसर्स।बोड्डु पाइदाना एंड संस ए. आई. आर. (29)

1942 संघीय न्यायालय 33 (मद्रास से); राज्यपाल –

परिषद में जनरल बनाम मद्रास प्रांत [ए. आई. आर. (32)

1945 प्रिवी काउंसिल 98]; आर. सी. जल पारसी बनाम भारत संघ और अन्य।1962 एयर 1281:[1962] पूरक।एससीआर

436; ए. के. रॉय और एक अन्य बनाम वोल्टास लिमिटेड [1973]

2 एससीआर 1089:(1973) 3 एस. सी. सी. 503; एटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वी.एच. एच. देवा, सहायक।केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर और

ओआरएस।[1975] 3 एससीआर 563:(1975) 1 एस. सी. सी. 499–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1984] 1 SCR 347	पुष्टि	पैरा 3
[2004] 4 Suppl. SCR 676	निर्दिष्ट.	पैरा 3
[2009] 12 SCR 204	निर्दिष्ट.	पैरा 3
2016) 6 SCC 391	निर्दिष्ट.	पैरा 4

A.I.R. (29) 1942 Federal Court 33 (from Madras	निर्दिष्ट.	पैरा 10
A.I.R. (32) 1945 Privy Council 98	निर्दिष्ट.	पैरा 11
[1962] Suppl. SCR 436	निर्दिष्ट.	पैरा 12
[1973] 2 SCR 1089	निर्दिष्ट.	पैरा 14
1975] 3 SCR 563	निर्दिष्ट.	पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3159/2004

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अंतिम आदेश No.672/2003–NB (A) दिनांक 10.12.2003 से अपील No.E/1370/2003–NB (A) में।

साथ

सी.ए.संख्या3455/2004, 7272/2005, 2982–2985/2005, 2986/2005, 7143/2005, 2261/2006, 2246–2247/2008, 2934–2935/2008, 3528/2008, 4820/2008, 6695/2008, 2534/2009, 253/2010, 8541/2009, 445/2010, 1382/2010, 2003–2004/2010, 2430/2010, 2363/2010, 7174–7175/2010, 4696/2011, 6984/2011 और 2705/2012।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., के. राधाकृष्णन, एस. के. बागरिया, वी. श्रीधरन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रुपेश कुमार, अरिजीत प्रसाद, रितेश कुमार, श्रीमती रश्मि मल्होत्रा, बी. कृष्ण प्रसाद, बालेन्दु शेखर, सुमित तेतरवाल, सुश्री सौदामिनी शर्मा, हेमंत आर्य, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री कीर्ति दुआ, मुकेश कुमार मरोरिया, रमेश सिंह, निखिल गोयल, ए.सुश्री नवीन गोयल (श्रीमती शीला गोयल के लिए), एस. सुकुमारन, आनंद सुकुमार, भुपेश कुमार पाठक, के. राजीव, श्रीमती मीरा माथुर, कुमार अजीत सिंह, एल. बद्री नारायणन, आदित्य भट्टाचार्य, विक्टर दास, सुश्री अपेक्षा मेहता, एम. पी. देवनाथ, जोसेफ पुक्कट्ट, प्रशांत कुमारी, दिनेश कुमार (मेसर्स एपी एंड जे चैंबर्स के लिए), रविंदर नारायण, अजय अग्रवाल, सुश्री मल्लिका जोशी, सुश्री रुचिका सिंह, रजत गावा, राजन नारायण, राजेश कुमार, सुश्री चंदनी पटेल, एस. नंदकुमार, एम. एस. सरनकुमार, सुश्री दीपिका नंदकुमार, सुबा सोमू, वी.उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय रंजन गोगोई, जे के द्वारा दिया गया था. 1.सबसे पहले, तथ्यः

प्रत्यर्थी–निर्धारिती घुलनशील और संपीड़ित औद्योगिक गैसों, तरल क्लोरीन और अन्य संबद्ध उत्पादों के निर्माता हैं।दो अन्य व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्मित सूती धागा और पोस्ट मिक्स कॉन्सेंट्रेट भी जारी किए जाते हैं।इन वस्तुओं की आपूर्ति ग्राहकों को टनर्स, सिलेंडर, कारबॉय, पेपर

कोन और एचडीपीई बैग, बीआईबी, पाइपलाइन और कनस्तरों में की जाती है, जिन्हें अधिक आसानी से "कंटेनर" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।कुछ मामलों में कंटेनर ग्राहकों को असेसेस्ट द्वारा किराए पर दिए जाते हैं जबकि अन्य में ग्राहक अपने स्वयं के कंटेनर लाते हैं।उपलब्ध कराने के लिए या ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए कंटेनरों को भरने के लिए निर्धारिती ग्राहकों से विभिन्न शीर्षों के तहत कुछ राशि लेते हैं जैसे पैकिंग शुल्क, पहनने और फाड़ने का शुल्क, सुविधा शुल्क, सेवा शुल्क, वितरण और संग्रह शुल्क, किराया शुल्क, मरम्मत और परीक्षण शुल्क।निर्धारिती उक्त राशि को सहायक या संबद्ध उद्यमों से अपनी आय के रूप में मानते हैं।

2. उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि क्या केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 4 के संदर्भ में शुल्क लगाने के उद्देश्य से मूल्य के निर्धारण के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त उपरोक्त शुल्कों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि 1 जुलाई, 2000 से संशोधित किया गया है।

3. इस अदालत के दो फैसलों के बीच टकराव को समझना **भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाम.बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पांडिचेरी बनाम एसर इंडिया** लिमिटेड इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 30 जुलाई, 2009 3 के आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ द्वारा उत्तर के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित किया:

"1. क्या केंद्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 की धारा 4 (1–7–2000 से प्रतिस्थापित) और धारा 4 की उप–धारा (3) के खंड (डी) में "लेन–देन मूल्य" की परिभाषा अधिनियम की धारा 3 के अधीन है?

2. क्या केंद्रीय आबकारी अधिनियम की धारा 3 और 4, आपस में जुड़े होने के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं और उनका वास्तविक दायरा औरसीमा क्या है?

3. क्या "लेन–देन मूल्य" की अवधारणा अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 4 (1) (ए) की मानित सामान्य मूल्य अवधारणा से कोई भौतिक विचलन करती है? "

4. बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर) में निर्णयों के रूप में और एसर इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) को इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उपरोक्त प्रश्नों को 30 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा और भी बड़ी पीठ को भेजा गया था।इस तरह हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

5. उत्पाद शुल्क क्या है और शुल्क की प्रकृति और उदग्रहण के माप के बीच क्या संबंध है, ये दो सटीक प्रश्न हैं जो वर्तमान संदर्भ में निर्धारण के लिए उत्पन्न होंगे।

6. पहले सिद्धांतों पर, कोई विवाद नहीं हो सकता है।उत्पाद शुल्क विनिर्माण पर और उस निर्माता पर लगाया जाने वाला शुल्क है जो कानून के तहत निर्मित वस्तुओं के पहले खरीदार पर बोझ डालने का हकदार है।उत्पाद शुल्क भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 84 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण से प्रवाहित होता है।हालांकि, शुल्क के संग्रह का चरण और उसका उपाय एक वैधानिक कार्य है।जब तक इस संबंध में वैधानिक अभ्यास विधायी शक्ति का एक सक्षम अभ्यास है, तब तक संग्रह के चरण और उदग्रहण के माप दोनों के संबंध में विधायी विवेक को प्रबल होने दिया जाना चाहिए।लेवी के उपाय को इसकी प्रकृति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना

चाहिए, हालांकि दोनों के बीच कुछ संबंध होना चाहिए।लेकिन माप को प्रकृति की कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।ये इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी कतार से निकले कानूनों के कुछ तय किए गए सिद्धांत हैं जिन पर हम जल्द ही ध्यान देंगे।जिन सिद्धांतों ने समय की कसौटी का सामना किया है, उनके लिए पुनर्विचार की आवश्यकता होती है, यह वह प्रश्न है जो वर्तमान संदर्भ में उत्तर के लिए प्रस्तुत करता है।

7. इस स्तर पर, मूल रूप से अधिनियमित और समय–समय पर संशोधित धारा 3 और 4 के प्रावधानों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक हो सकता है।

खंड 3

वित्त अधिनियम 2000 (2000 का अधिनियम 10) द्वारा संशोधन से पहले लागू अधिनियम की धारा 3	वित्त आयोग अधिनियम, 2000 (2000 का No.10) की 92 द्वारा धारा 3 के प्रासंगिक भाग को उप–निर्दिष्ट/संश (12 मई, 2000 से प्रभावी) के रूप में।
3. पहली अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क लगाए जाने हैं। – (1) (क) भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्धारित दरों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।	3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अ और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क लगाए जाएंगे। (क) उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में निर्धारित दरों पर भारत में उत्पादित या उत सभी उत्पाद शुल्क पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) जाने वाला उत्पाद शुल्क; (ख)

खंड 4

मूल रूप से अधिनियमित धारा 4 (केंद्रीय आबकारी और नमक अधिनियम, 1944 में),	1973 के संशोधन अधिनियम No.22 द्वारा संशोधित धारा 4	1.7.2000 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2 द्वारा संशोधित धारा 4
शुल्क के प्रयोजनों के लिए मूल्य का निर्धारण–जहां इस अधिनियम के तहत कोई वस्तु वस्तु के मूल्य पर निर्भर दर पर शुल्क के साथ प्रभार्य है, तो ऐसा मूल्य थोक नकद मूल्य माना जाएगा जिसके लिए समान प्रकार और गुणवत्ता की वस्तु बेची जाती है या बेची जा सकती है वितरण के लिए निर्माण के स्थान पर और उसे हटाने के समय, व्यापार छूट और तब देय शुल्क की राशि को छोड़कर जो	उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्यों के लिए उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन। – (1) जहां इस अधिनियम के तहत, मूल्य के संदर्भ में किसी भी उत्पाद शुल्क का प्रभार देय है, तो ऐसा मूल्य, इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, –	उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्यों के लिए उ शुल्क का मूल्यांकन। – (1) जहां अधिनियम के तहत, उत्पाद शुल्क किसी उत्पाद शुल्क पर उनके मूल्य के संदर्भ में प्र है, तो, प्रत्येक हटाने माल पर, ऐसा मूल्य

कुछ भी हो, कटौती में कोई कमी किए बिना।		
	(क) उसकी सामान्य कीमत, अर्थात वह कीमत जिस पर निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं को सामान्य रूप से किसी खरीदार को थोक व्यापार के दौरान हटाने के समय और स्थान पर वितरण के लिए बेचा जाता है, जहां खरीदार कोई संबंधित व्यक्ति नहीं है और कीमत ही बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है: परंतुक –(i) जहां निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं के थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार, ऐसी वस्तुओं को विभिन्न वर्गों के खरीदारों (जो संबंधित व्यक्ति नहीं हैं) को अलग–अलग कीमतों पर बेचा जाता है, वहां प्रत्येक ऐसी कीमत, खंड (क) में निर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों के अस्तित्व के अधीन रहते हुए, खरीदारों के प्रत्येक ऐसे वर्ग के संबंध में ऐसी वस्तुओं की सामान्य कीमत मानी जाएगी; (ii) जहां निर्धारिती द्वारा वितरण के लिए थोक व्यापार के दौरान ऐसी वस्तुओं को उस समय लागू किसी कानून के तहत निर्धारित मूल्य पर या किसी ऐसे कानून के तहत निर्धारित अधिकतम मूल्य पर बेचा जाता है, तो इस परंतुक के खंड (iii) में कुछ भी निहित होने के बावजूद,	(ए) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती द्वारा बेचा जाता है, हटाने के समय और स्थान डिलीवरी के लिए, निर्धारिती और माल खरीदार संबंधित नहीं हैं और कीमत बिक्र लिए एकमात्र विचार है, लेनदेन मूल्य हो; (बी) किसी अन्य मामले में, जिसमें वह मा भी शामिल है जहां माल नहीं बेचा जाता है, तरीके से निर्धारित मूल्य हो जो निर्धारित जाए। (2) इस धारा के प्रावधान किसी भी उ शुल्क वाले माल के संबंध में लागू नहीं जिसके लिए धारा 3 की उप–धारा (2 तहत शुल्क मूल्य निर्धारित किया गया है। (3) इस धारा के प्रयोजन के लिए, – (क) "निर्धारिती" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उसका एजेंट भी शामिल है; (ख) व्यक्तियों को "संबंधित" माना ज यदि–(i) वे परस्पर जुड़े उपक्रम हैं; (i रिश्तेदार हैं; (iii) उनमें से खरीदार निर्धारिती का रिश और वितरक है, या ऐसे वितरक का वितरक है; या

	(iii) जहां निर्धारिती इस प्रकार व्यवस्था करता है कि माल आम तौर पर उसके द्वारा किसी संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से थोक व्यापार के दौरान नहीं बेचा जाता है, तो ऐसे संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से बेचे गए माल की सामान्य कीमत वह कीमत मानी जाएगी जिस पर वे सामान्य रूप से संबंधित व्यक्ति द्वारा थोक व्यापार के दौरान विक्रेताओं (जो संबंधित व्यक्ति नहीं हैं) को बेची जाती हैं या जहां ऐसी वस्तुएं ऐसे विक्रेताओं को नहीं	(iv) वे इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के व्यवसाय में रखते हैं। स्पष्टीकरण। – इस खंड में– (i) "परस्पर जुड़े उपक्रमों" का वही अर्थ जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्य व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का की धारा 2 के खंड (छ) में दिया गया है; (ii) "संबंध" का वही अर्थ होगा जो क अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धा

	बेची जाती हैं, ऐसे विक्रेताओं (जो संबंधित व्यक्ति हैं) को जो खुदरा में ऐसी वस्तुएं बेचते हैं; (बी) जहां ऐसी वस्तु की सामान्य कीमत इस कारण से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है कि ऐसी वस्तुएं नहीं बेची जाती हैं या किसी अन्य कारण से, उसका निकटतम निर्धारणीय समतुल्य इस तरह से निर्धारित किया जाता है जैसे कि निर्धारित किया जा सके। (2) जहां किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में हटाने के स्थान पर डिलीवरी के लिए उसकी कीमत ज्ञात नहीं है और उसका मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, वहां हटाने के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की लागत को ऐसी कीमत से बाहर रखा जाएगा।	के खंड (41) में दिया गया है; (ग) "हटाने का स्थान" का अर्थ है– (i) एक कारखाना या उत्पादन का कोई स्थान या परिसर या उत्पाद शुल्क के भुग के बिना उत्पाद शुल्क का उत्पादन या निम (ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान परिसर जहां से उत्पाद शुल्क का भुगतान बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान करने अनुमति दी गई है, जहां से ऐसी वस्तुएं गई हैं।

	(3) इस धारा के प्रावधान किसी भी उत्पाद शुल्क वाले माल के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसके लिए धारा 3 की उप–धारा (2) के तहत शुल्क मूल्य निर्धारित किया गया है। (4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, – (क) "निर्धारिती" का अर्थ है वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और जिसमें उसका एजेंट भी शामिल है; (ख) "हटाने का स्थान" का अर्थ है–(i) एक कारखाना या उत्पाद शुल्क के उत्पादन या निर्माण का कोई अन्य स्थान या परिसर; या (ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जिसमें उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना उत्पाद शुल्क को जमा करने की अनुमति दी गई है, जहां से ऐसे सामान को हटा दिया गया है; (ग) "संबंधित व्यक्ति" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो निर्धारिती के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक दूसरे के व्यवसाय में उनका हित है और इसमें एक धारक कंपनी, एक सहायक कंपनी, एक	(घ) "लेन–देन मूल्य" से माल के लिए, जब जाता है, वास्तव में भुगतान किया गया या देय अभिप्रेत है और इसमें मूल्य के रूप में प्रभारित के अतिरिक्त कोई भी राशि शामिल है जो ख निर्धारिती को या उसकी ओर से, बिक्री के कार बिक्री के संबंध में, चाहे वह बिक्री के समय देय किसी अन्य समय, जिसमें संगठन के भंडारण, बाहरी संचालन, सेवा, वारंटी, कमीश किसी अन्य मामले में विज्ञापन या प्रचार, वि और बिक्री के लिए प्रभारित या प्रावधान कर लिए प्रभारित कोई राशि शामिल है, लेकिन तक सीमित नहीं है; लेकिन इसमें उत्पाद शु बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई वास्तव में भुगतान या वास्तव में देय, शामिल है।

	रिश्तेदार और निर्धारिती का वितरक शामिल है।	
	स्पष्टीकरण। – इस खंड में "धारक कंपनी", "सहायक कंपनी" और "रिश्तेदार" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में है; (1956 का 1) (घ) किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में "मूल्य", – (i) जहां सामान को पैक की गई स्थिति में हटाने के समय वितरित किया जाता है, उसमें ऐसी पैकिंग की लागत शामिल है, सिवाय पैकिंग की लागत के जो टिकाऊ प्रकृति की है और खरीदार द्वारा निर्धारिती को वापस की जा सकती है। स्पष्टीकरण। – इस उपखंड में, "पैकिंग" का अर्थ है रैपर, कंटेनर, बॉबिन, पिरन, स्पूल, रील या वार्प बीम या कोई अन्य चीज जिसमें या जिस पर उत्पाद शुल्क का माल लपेटा जाता है, रखा जाता है या घाव किया जाता है; (ii) इसमें ऐसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो किए जा सकते हैं, व्यापार छूट (ऐसी छूट जो किसी भी खाते में वापसी योग्य नहीं है) बिक्री के लिए अनुबंधित ऐसी वस्तुओं के संबंध में हटाने के समय थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार अनुमत है। (ङ) "थोक व्यापार" से विक्रेताओं, औद्योगिक उपभोक्ताओं, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य खरीदारों को बिक्री अभिप्रेत है, जो या जो खुदरा के अलावा अपनी आवश्यकताओं को खरीदते हैं।	

8. इस स्तर पर, राजकोषीय न्यायशास्त्र की विशेष शाखा में विकास का एक संक्षिप्त विवरण देना उचित हो सकता है जो वर्तमान मामलों में जारी है।मध्य प्रांत और बरार**मोटर स्पिरिट और स्नेहक की बिक्री कराधान अधिनियम, 1938, (1938 का केंद्रीय प्रांत और बरार अधिनियम No.XIV) ने उदग्रहण को अधिकृत किया और**प्रत्येक खुदरा विक्रेता से संग्रह, जैसा कि अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, मोटर स्पिरिट और स्नेहक की खुदरा बिक्री पर ऐसी बिक्री के मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से कर उदग्रहण को चुनौती दी गई थी और भारत सरकार अधिनियम, 1935 (जिसे प्राय: "संविधान अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 213 के तहत गवर्नर जनरल द्वारा किए गए एक संदर्भ पर संघीय न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए क्या उत्पन्न

हुआ, यह सवाल है कि क्या उक्त उदग्रहण संविधान अधिनियम की सातवीं अनुसूची में सूची–। की प्रविष्टि 45 के तहत उत्पाद शुल्क था या उक्त अनुसूची की सूची ।। की प्रविष्टि 48 के तहत माल की बिक्री पर कर था।यद्यपि माल की बिक्री पर और इसलिए प्रांतीय विधानमंडल की क्षमता के भीतर कर लगाने को अभिनिर्धारित करने वाले संदर्भ में अंतिम उत्तर का वर्तमान मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन एक विशिष्ट सूचना की आवश्यकता हो सकती है कि प्रविष्टि 45 जो संघीय विधानमंडल को "भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है, सिवाय" इसके. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–। की प्रविष्टि 84 के अनुरूप है।

9. मुख्य न्यायाधीश ग्वेयर द्वारा दी गई राय के कुछ उद्धरण (पीठ के सभी न्यायाधीशों ने अंतिम निष्कर्ष पर सहमत होते हुए अपनी राय दी) उत्पाद शुल्क लगाने की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे और इसलिए नीचे याद किया जा रहा हैः–

"संघीय विधायी शक्ति भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के संबंध में कानून बनाने तक विस्तारित है।ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि "एक्साइज" मूल रूप से एससाइज था, "डच के माध्यम से देर से लैटिन एक्सेंसर से लिया गया एक शब्द, कर के लिए; आधुनिक रूप, जिसने प्रारंभिक तिथि में एक्साइज को हटा दिया", जाहिरा तौर पर लैटिन एक्साइडेरे से गलत व्युत्पत्ति के कारण, काटने के लिए।यह शुरू में एक टोल या कर के लिए एक सामान्य शब्द था, लेकिन 17 वीं शताब्दी के बाद से इसने यूनाइटेड किंगडम में एक विशेष, हालांकि हमेशा सटीक, अर्थ प्राप्त कर लिया है।"उत्पाद शुल्क" या "उत्पाद शुल्क" का प्राथमिक अर्थ यूनाइटेड किंगडम में उत्पादित या निर्मित विलासिता की कुछ वस्तुओं (जैसे स्पिरिट, बीयर या तंबाकू) पर कर का हो गया है, और इसका उपयोग ए पर सीमा शुल्क के विपरीत किया जाता है। देश में अन्य जगहों से आयात की जाने वाली वस्तुएँ।बाद की तारीख में उन व्यक्तियों द्वारा देय लाइसेंस शुल्क जो उत्पाद शुल्क का उत्पादन या बिक्री करते थे, उन्हें भी उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाने लगा और इस अभिव्यक्ति को बाद में कई अन्य व्यापारों या कॉलिंग में लगे व्यक्तियों पर राजस्व, प्रशासनिक या विनियामक उद्देश्यों के लिए लगाए गए लाइसेंस शुल्क तक बढ़ा दिया गया। यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम में मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के लिए भुगतान पर देय शुल्क को भी उत्पाद शुल्क कहा जाता है और आम तौर पर, इस अभिव्यक्ति का उपयोग उन सभी शुल्कों और करों को शामिल करने के लिए किया जाता है, जो सीमा शुल्क के साथ, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के आयुक्तों द्वारा एकत्र और प्रशासित किए जाते हैं।लेकिन अंग्रेजी में इसका प्राथमिक और मौलिक अर्थ अभी भी कर लगाने वाले देश में उत्पादित या निर्मित और घरेलू उपभोग के लिए लक्षित वस्तुओं पर कर का है।मुझे संतोष है कि भारत में भी यही इसका प्राथमिक और मौलिक अर्थ है और किसी ने यह सुझाव नहीं दिया है कि प्रविष्टि (45) में इसका कोई अन्य अर्थ है।

X

XXX

XXX

... .सैद्धांतिक रूप से ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है कि किसी वस्तु की खुदरा बिक्री पर भी उत्पाद शुल्क क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, यदि कर **अधिनियम इस प्रकार प्रदान करता है।हमेशा**

कराधान प्राधिकारी की विधायी क्षमता के अधीन, घरेलू उत्पादित वस्तुओं पर एक शुल्क स्पष्ट रूप से उस स्तर पर लगाया जाएगा जो प्राधिकरण को सबसे सुविधाजनक और सबसे अधिक आकर्षक लगता है, चाहे वह कहीं भी हो; लेकिन यह संग्रह की मशीनरी का मामला है, और कर की आवश्यक प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है।

अंतिम उत्पाद शुल्क की घटना, एक विशिष्ट अप्रत्यक्ष कर, हमेशा उपभोक्ता पर होनी चाहिए, जो उपभोग या व्यय के रूप में भुगतान करता है; और यह एक उत्पाद शुल्क, यानी घर में उत्पादित या घर में निर्मित वस्तुओं पर एक शुल्क बना हुआ है, चाहे वह किसी भी स्तर पर एकत्र किया गया हो। इसलिए उत्पाद शुल्क की परिभाषा उन्हें लागू करने के लिए विधायी शक्ति की सीमा निर्धारित करने में बहुत कम सहायता करती है; क्योंकि एक प्रतिबंधित विधायी शक्ति द्वारा लगाया गया शुल्क एक विस्तारित द्वारा लगाए गए शुल्क से सार में भिन्न नहीं है।

प्रांतीय सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उत्पाद शुल्क केवल उत्पादन या निर्माण पर कर है और इसलिए इसे बाद के किसी भी चरण में नहीं लगाया जा सकता था।उत्पादन पर कर और उत्पादित वस्तु पर कर के बीच कोई अंतर है या नहीं, यह विवाद, भारत सरकार के विवाद से कम नहीं, इसे लागू करने की विधायी शक्ति की सीमा के साथ कर्तव्य की प्रकृति को भ्रमित करता है।न ही, पहले से दिए गए कारणों के लिए, इस बात से सहमत होना संभव है कि किसी भी परिस्थिति में उत्पादन या निर्माण के बाद के चरण में उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

"(रेखांकित और बोल्ड हमारा है)

10. इस मुद्दे पर प्रांत में आगे विचार किया गया था मद्रास बनाम मेसर्स।बोड्डूपैदन्ना एंड संस (.निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक होगा।

"1939 में एफ. सी. आर. 18)5 में व्यक्त की गई राय केवल सलाहकार राय थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें उन्हें उस कारण से हमारे लिए कम बाध्यकारी मानना चाहिए।इसलिए, हम केंद्रीय और प्रांतीय कर क्षेत्रों के बीच सामान्य विभाजन को स्वीकार करते हैं, जिसने अदालत के बहुमत के समक्ष खुद को सराहा कि 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति बिक्री पर कर को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है; लेकिन जहां स्पष्ट रूप से किसी अन्य प्राधिकरण को बिक्री पर कर लगाने की शक्ति दी गई है, तो यह स्पष्ट है कि 'उत्पाद शुल्क' को अधिक प्रतिबंधित अर्थ दिया जाना चाहिए, जो अन्यथा हो सकता है।दूसरी ओर यह तथ्य कि "उत्पाद शुल्क" अपने आप में बहुत सामान्य आयात की अभिव्यक्ति है, "बिक्री पर कर" अभिव्यक्ति को वह अर्थ देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है जो यह सामान्य रूप से और स्वाभाविक रूप से व्यक्त करेगा।इन परिस्थितियों में वर्तमान अपील में मुद्दा एक बहुत ही छोटे दायरे में निहित प्रतीत होता है।

1939 के एफ. सी. आर. 18 के अनुसार, उत्पाद शुल्क जो संविधान अधिनियम विशेष रूप से केंद्रीय विधानमंडल को निर्दिष्ट करता है, निर्माता या उत्पादक पर कर लगाए गए वस्तु के निर्माण या उत्पादन के संबंध में लगाए गए शुल्क हैं।माल की बिक्री पर कर, जिसे अधिनियम विशेष रूप से प्रांतीय विधानमंडलों को निर्धारित करता है, माल की बिक्री के अवसर पर लगाया जाने वाला कर है।स्पष्ट रूप से पहली बिक्री पर लगाया जाने वाला कर निर्माता या निर्माता द्वारा बिक्री पर लगाया जाने वाला कर होना चाहिए; लेकिन यह उस पर एक विक्रेता के रूप में लगाया जाता है न कि एक निर्माणकर्ता या निर्माता के रूप में।

यदि बिक्री कर का भुगतान करने वाला करदाता भी उत्पाद शुल्क के केंद्रीय शुल्क के अधीन वस्तुओं का निर्माता या उत्पादक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अर्थ में अतिव्यापी हो सकता है, लेकिन कानून में कोई अतिव्यापी नहीं है।जिन दो करों का भुगतान करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, वे आर्थिक रूप से दो अलग–अलग और अलग हैं।। **सिद्धांतिक रूप में केंद्रीय विधानमंडल को किसी वस्तु के अस्तित्व में आते ही उस पर उत्पाद शुल्क लगाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे उसके बाद उसका क्या होता है, चाहे उसे बेचा जाए, उपभोग किया जाए, नष्ट किया जाए या दिया जाए।एक कर प्राधिकरण आम तौर पर ऐसा शुल्क नहीं लगाएगा, क्योंकि जब वस्तु पहली बार कारखाने से बाहर निकलती है तो शुल्क एकत्र करना (अधिकांश उत्पाद शुल्क अधिनियमों के मामले में) प्रशासनिक रूप से अधिक सुविधाजनक होता है, और यह भी कि शुल्क एक अप्रत्यक्ष शुल्क होने का इरादा है जिसे निर्माता या उत्पादक अंतिम उपभोक्ता को देना है, जो वह नहीं कर सकता था यदि वस्तु, उदाहरण के लिए, कारखाने में ही नष्ट हो गई थी।यह उत्पादन का तथ्य है जो शुल्क को आकर्षित करता है, भले ही इसे बाद में एकत्र किया जा सकता है; और हम चीनी उत्पाद शुल्क अधिनियम की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जिसमें यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि शुल्क न केवल कारखाने से जारी की जाने वाली चीनी के संबंध में देय है, बल्कि कारखाने के भीतर खपत होने वाली चीनी के संबंध में भी देय है।बिक्री कर के मामले में, कर का दायित्व बिक्री के अवसर पर उत्पन्न होता है, और बिक्री का निर्माण या उत्पादन के साथ कोई आवश्यक संबंध नहीं होता है।निर्माता या उत्पादक निश्चित रूप से अपनी वस्तु को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि उसने पहले इसका निर्माण या उत्पादन नहीं किया हो; लेकिन वह बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है, यदि बिल्कुल भी हो, क्योंकि वह बेचता है और इसलिए नहीं कि वह निर्माण या उत्पादन करता है; और वह दायित्व से मुक्त होगा यदि वह अपने कारखाने से आने वाली हर चीज को देने का विकल्प चुनता है।"**

11. एक उदग्रहण के रूप में उत्पाद शुल्क की प्रकृति और उसके संग्रह के चरण पर प्रारंभिक विचारों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हालांकि ढोंग किसी वस्तु के निर्माण पर है, लेकिन इसके संग्रह का बिंदु आवश्यक रूप से निर्माण के समय के साथ मेल नहीं खाता है। संग्रह का चरण प्रशासनिक सुविधा का विषय हो सकता है और आमतौर पर होता है।

ऐसा चरण, आम तौर पर, वस्तु की निकासी का चरण होता है जब वह पहली बार बिक्री के लिए व्यापार में प्रवेश करती है।उपरोक्त स्थिति की पुष्टि की गई थी मद्रास परिषद बनाम प्रांत में गवर्नर–जनरल में प्रिवी काउंसिल जिसमें यह अन्य बातों के साथ–साथ यह अभिनिर्धारित किया गया

"उत्पाद शुल्क" शब्द कुछ हद तक लचीला हैःइसमें, निस्संदेह, पहले और शायद, अन्य बिक्री पर कर शामिल हो सकता हैःउचित संदर्भ में इसका और भी व्यापक अर्थ हो सकता है।इस विषय की एक विस्तृत चर्चा, जिससे उनके प्रभुओं ने मूल्यवान सहायता प्राप्त की है, 1939 एफ. सी. आर. 18 में संघीय न्यायालय के फैसले में पाई जा सकती है।इस निर्णय के अनुरूप, उनके प्रभुओं की राय है कि उत्पाद शुल्क मुख्य रूप से निर्मित या उत्पादित वस्तु के संबंध में निर्माता या उत्पादक पर लगाया जाने वाला शुल्क है।यह माल पर एक कर है जो माल की बिक्री या बिक्री से प्राप्त आय पर नहीं है।यहाँ फिर से, उनके अधिपति खुद को बोड्डूपैदन्ना मामले में संघीय न्यायालय के तर्क और निष्कर्षों के साथ पूरी तरह से सहमत पाते हैं।दो कर, एक निर्माता पर उसके माल के संबंध में

लगाया जाता है और दूसरा विक्रेता पर उसकी बिक्री के संबंध में लगाया जाता है, जैसा कि वहाँ बताया गया है, एक अर्थ में अधिव्यापन हो सकता है।लेकिन कानून में कोई अतिव्यापन नहीं है। कर अलग–अलग और अलग–अलग शुल्क हैं।यदि वास्तव में वे अतिव्यापन करते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कर प्राधिकरण, उत्पाद शुल्क लागू करते हुए, उस समय उस शुल्क को लागू करना सुविधाजनक पाता है जब उत्पाद शुल्क वस्तु अपनी बिक्री के अवसर पर पहली बार कारखाने या कार्यशाला से निकलती है।लेकिन कर एकत्र करने का वह तरीका प्रशासन की एक दुर्घटना है; यह उत्पाद शुल्क का सार नहीं है, जो स्वयं निर्माण द्वारा आकर्षित होता है।"

12. उपरोक्त विचारों पर इस न्यायालय ने **आर. सी. जल पारसी बनाम भारत संघ और अन्य** में विचार किया, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उत्पाद शुल्क अनिवार्य रूप से निर्माण पर एक शुल्क है जो उपभोक्ता को दिया जाता है, लेकिन कर प्राधिकरण की विधायी क्षमता के अधीन, संग्रह का चरण किसी भी स्तर पर सुविधाजनक हो सकता है, जब तक कि उदग्रहण का चरित्र यानी निर्माण पर शुल्क पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है।आगे व्यक्त विचार यह था कि "संग्रह की विधि शुल्क के सार को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए संग्रह की संस्था से संबंधित है।"

13. उपरोक्त दृष्टिकोण का लगातार पालन करने वाली घोषणाओं की लंबी पंक्तियों को दोहराना शायद ही आवश्यक होगा, सिवाय इसके कि **बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (उपरोक्त)** का थोड़ा विस्तृत संदर्भ देने के लिए, न केवल इसलिए कि उक्त मामले में निर्णय के सही अनुपात को इस संदर्भ के उद्देश्य के लिए समझा जाना चाहिए ताकि **एसर इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त)** के साथ कथित संघर्ष से निपटा जा सके, बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि मुद्दे के विषय पर इस न्यायालय ने पूर्ण और विस्तृत विचार किया था।

14.बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (सुप्रा) में मुद्दा, शीघ्र ही रखा गया था, क्या उत्पाद शुल्क लगाने के लिए निर्धारणीय मूल्य का निर्धारण किया गया था शुल्क केवल विनिर्माण लागत और विनिर्माण लाभ पर हो सकता है।इसके निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कोर्ट में ए.के. रॉय एवं अन्य बनाम वोल्टास लिमिटेड 8, वह सम्मान रखता हैलेवी की प्रकृति के अनुसार माप को वहीं तक सीमित रखा जाना चाहिए। उदाहरणों की एक लंबी श्रृंखला का हवाला देकर विवाद को खारिज कर दिया गया जिनका यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है उनका मानना है कि "कर लगाने को परिभाषित किया गया है इसकी प्रकृति से, जबकि कर की माप का आकलन इसके द्वारा किया जा सकता है अपना मानक. यह सत्य है कि मानक को माप के रूप में अपनाया गया उगाही का विवरण कर की प्रकृति का संकेत दे सकता है लेकिन ऐसा नहीं है इसे आवश्यक रूप से निर्धारित कर आगे का दृश्य बम्बई में व्यक्त किया गया टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (सुप्रा) ऐसा केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उत्पाद शुल्क एक उदग्रहण है विनिर्मित वस्तुओं पर इस उद्देश्य के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु का मूल्य लेवी को केवल विनिर्माण लागत से अधिक तक सीमित नहीं किया जा सकता है विनिर्माण लाभ इस न्यायालय ने यह माना कि एक व्यापक आधार के प्रयोजन हेतु संदर्भ मानक अपनाया जा सकता है लेवी की माप निर्धारित करना. कोई भी मानक जोउदग्रहण के आवश्यक चरित्र के साथ सांठगांठ बनाए रखा जा सकता है लेवी की माप का आकलन करने के लिए इसे एक वैध आधार माना जाता है।

15. अधिनियम की धारा 4 को पढ़ना, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था; जैसा कि 1973 के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था; और जैसा कि 2000 के संशोधन द्वारा आगे संशोधित किया गया था, स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि मूल्य निर्धारण शुल्क के उद्ग्रहण के उद्देश्यों के लिए वस्तु का मूल्य मूल्य के संदर्भ में था अर्थात। 2000 के संशोधन से पहले 'सामान्य मूल्य' और उसके बाद 'लेन–देन मूल्य' के संदर्भ में जिसे परिभाषित किया गया है (पहले से ही निकाला गया है) जिसका अर्थ है "माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत, जब बेचा जाता है, और इसमें कीमत के रूप में ली गई राशि के अलावा भी शामिल है।"

16.उदग्रहण के उद्देश्य के लिए उपाय, इसलिए, अनिवार्य रूप से एक लेनदेन के संबंध में ली गई कीमत है जो आवश्यक रूप से हाथ की लंबाई पर होनी चाहिए। समावेशन और परिवर्धन जो मूल्य को समृद्ध करते हैं इसकी मंजूरी तक का अनुच्छेद उस मूल्य में अनुमेय परिवर्धन है जिसे पुरानी धारा 4 (2000 से पहले) के तहत 'मूल्य' के साथ–साथ 1.7.2000 से प्रभावी संशोधित धारा के तहत 'लेनदेन मूल्य' निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। जबकि इस तरह के परिवर्धन को **बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर)** में पुराने अधिनियम के तहत न्यायिक रूप से अनुमत माना गया है, वही शीर्ष 2000 में किए गए संशोधन द्वारा वैधानिक रूप से उत्कीर्ण किए गए हैं।

17. देय उत्पाद शुल्क की मात्रा की गणना के लिए मूल्य/लेनदेन शुल्क निर्धारित करने के लिए जब वस्तु व्यापार की धारा में प्रवेश करती है तो उस स्तर पर एक निर्मित वस्तु के लिए ली जाने वाली कीमत उदग्रहण के आवश्यक चरित्र या प्रकृति के साथ संघर्ष में नहीं आती है। माप मूल्य है और मूल्य मूल्य से संबंधित है। विनिर्माण लागत और विनिर्माण लाभ के अलावा, मंजूरी के चरण में ली जाने वाली कीमत में कुछ मूल्य वृद्धि और समावेशन शामिल हो सकते हैं जो उत्पाद के मूल्य को समृद्ध करते हैं ताकि इसे बिक्री के लिए उपयुक्त बनाया जा सके या ऐसी बिक्री को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस स्तर पर, धोखाधड़ी का बिक्री से कोई लेना–देना नहीं है। कर निर्माण पर है। लेकिन यह पहली बिक्री के चरण तक का मूल्य है जिसे उपाय के रूप में लिया जाता है। ऐसा करने से शुल्क की प्रकृति और चरित्र और अपनाए गए उपाय के बीच कोई विसंगति नहीं आती है।

18. उपरोक्त पहलू पर बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (उपरोक्त) में मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से एक विशिष्ट तर्क पर विचार किया गया था कि निम्नलिखित शीर्षों के तहत कटौती निम्नलिखित शर्तों में बिक्री मूल्य से की जानी चाहिएः

"48. अब हम इस सवाल पर आगे बढ़ते हैं कि क्या उत्पादन के बाद के किसी भी खर्च को उत्पाद शुल्क के "मूल्य" का निर्धारण करते समय कीमत से घटाया जा सकता है। पुरानी धारा 4 में स्पष्टीकरण द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उस धारा के तहत किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित करने में व्यापार छूट और कारखाने या अन्य परिसरों से शुल्क के साथ प्रभार्य वस्तु को हटाने के समय देय शुल्क की राशि के संबंध में कोई कटौती या कटौती की अनुमति नहीं होगी। नई धारा 4 में उप–धारा (2) द्वारा प्रावधान किया गया है कि जहां हटाने के स्थान पर डिलीवरी के लिए उत्पाद शुल्क की कीमत ज्ञात नहीं है और मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, वहां हटाने के स्थान से वितरण के स्थान तक परिवहन की लागत ए होनी चाहिए।

ऐसी कीमत से बाहर रखा गया है। नई धारा 4 में उप–धारा (4) (घ) (ii) भी शामिल है जो घोषणा करती है कि किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में "मूल्य" अभिव्यक्ति में ऐसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो किया जा सकता है, व्यापार छूट (ऐसी छूट किसी भी खाते में वापसी योग्य नहीं है) बिक्री के लिए बेची गई या अनुबंधित ऐसी वस्तुओं के संबंध में हटाने के समय थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार अनुमत है।अब ये स्पष्ट प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से खर्च की कुछ वस्तुओं की कीमत से कटौती के लिए प्रावधान करते हैं।लेकिन निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस प्रकार निर्दिष्ट शीर्षों के अलावा धारा का एक उचित निर्माण विनिर्माण के बाद के खर्चों की अन्य श्रेणियों की कटौती को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह भी आग्रह किया जाता है कि यद्यपि नई धारा 4 (4) (डी) (आई) घोषणा करती है कि किसी उत्पाद शुल्क के "मूल्य" की गणना करने में, पैकिंग की लागत शामिल की जाएगी, प्रावधान को प्राथमिक पैकिंग तक सीमित माना जाना चाहिए और यह माध्यमिक पैकिंग तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। जिन शीर्षों के तहत कटौती का दावा किया जाता है, उनका विवरण नीचे दिया गया हैः

(1) भंडारण शुल्क।

(2) माल ढुलाई या अन्य परिवहन शुल्क, चाहे वह विशिष्ट हो या समान।

(3) बाहरी संचालन शुल्क, चाहे वह विशिष्ट हो या समतुल्य।(4) इन्वेंट्री पर ब्याज (मंजूरी के बाद निर्माता द्वारा रखे गए स्टॉक)।

(5) खरीदार को डिलीवरी के बाद अन्य सेवाओं के लिए शुल्क।(6) माल के कारखाने के द्वार से निकलने के बाद बीमा।

(7) पैकिंग शुल्क।

(8) विज्ञापन और प्रचार खर्च सहित विपणन और बिक्री संगठन के खर्च।

19. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया –

"50. अब हम दावे की जांच करेंगे।यह स्पष्ट है कि "मूल्य" निर्धारित करने के उद्देश्य से, मोटे तौर पर दोनों पुरानेधारा 4 (ए) और नई धारा 4 (1) (ए) हटाने के समय और स्थान, अर्थात् कारखाने के द्वार पर वितरण के लिए किसी वस्तु के थोक व्यापार के दौरान बिक्री के लिए मूल्य की बात करती है ।जहां पुरानी धारा 4 (ए) या नई धारा 4 (1) (ए) के तहत विचारित मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां कीमत पुरानी धारा 4 (बी) या नई धारा 4 (1) (बी) के तहत निर्धारित की जाती है।अब, एक वस्तु की कीमत उसके मूल्य से संबंधित है (एक सामान्य अर्थ में इस शब्द का उपयोग करते हुए), और उस मूल्य में कई घटक डाले गए हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने इसके मूल्य को समृद्ध किया है और व्यापार में वस्तु को इसकी विपणन क्षमता दी है।इसलिए, विक्रय की तारीख तक इसके मूल्य में योगदान देने वाले कई कारकों के कारण किए गए खर्च, जो जाहिरा तौर पर डिलीवरी की तारीख होगी, शामिल किए जाने योग्य हैं।नतीजतन, जहां विक्रय कारखाने के द्वार पर की जाती है, वहां निर्धारिती द्वारा भंडारण शुल्क, बाहरी हैंडलिंग शुल्क, इन्वेंट्री पर ब्याज (मंजूरी के बाद निर्माता द्वारा किए गए स्टॉक), खरीदार को वितरण के बाद अन्य सेवाओं के लिए शुल्क, अर्थात् विक्रय के बाद सेवा और विज्ञापन खर्च सहित विपणन और बिक्री संगठन के खर्चों के

कारण डिलीवरी की तारीख तक किए गए खर्चों में कटौती नहीं की जा सकती है।यह ध्यान दिया जाएगा कि विज्ञापन खर्च, विपणन और बिक्री संगठन खर्च और विक्रय के बाद की सेवा वस्तु की विपणन क्षमता को बढ़ावा देती है और व्यापार में इसके मूल्य में प्रवेश करती है।जहां थोक व्यापार के दौरान विक्रय निर्धारिती द्वारा अपने विक्रय संगठन के माध्यम से कारखाने के द्वार के बाहर किसी स्थान या स्थानों पर की जाती है, वहां उपरोक्त शीर्षों के तहत वितरण की तारीख तक निर्धारिती द्वारा किए गए खर्चों की कटौती उसी आधार पर नहीं की जा सकती है।लेकिन निर्धारिती कारखाने के द्वार से उस स्थान या स्थानों तक जहां इसे बेचा जाता है, उत्पाद शुल्क के परिवहन की लागत के कारण कटौती का हकदार होगा।परिवहन की लागत में कारखाने के द्वार से माल के परिवहन के लिए माल ढुलाई पर बीमा की लागत शामिल होगी।"

(रेखांकित करना हमारा है)

20. हम **बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर)** में इस अदालत द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के साथ किसी भी असहमति के लिए कोई जगह नहीं पाते हैं।यह मध्य प्रांतों और बरार में संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल द्वारा रखे गए निर्णय के अनुरूप एक दृष्टिकोण है। बोड्डूपैदन्ना (ऊपर) और मद्रास प्रांत (ऊपर) और **वोल्टास लिमिटेड (उपरोक्त)** में निर्णय सहित उसके बाद के निर्णय और **एटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। एच. एच. देवा, सहायक।केंद्रीय आबकारी के कलेक्टर और अन्य** जिसका वास्तविक उद्देश्य बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर) में समझाया गया था। उपरोक्त दोनों राय को इस अर्थ में स्पष्ट किया गया था कि दोनों में से कोई भी इस प्रभाव के लिए कोई प्रस्ताव नहीं देता है कि उत्पाद शुल्क केवल विनिर्माण लागत और केवल विनिर्माण लाभ पर लगाया जा सकता है।

21. इस स्तर पर, "सभी उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क" शब्दों को "सभी उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) कहे जाने वाले उत्पाद शुल्क" शब्दों से प्रतिस्थापित करके धारा 3 में संशोधन स्पष्ट है।अधिनियम की धारा 3 के संशोधन में न केवल उत्पादन के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अतिरिक्त कर लगाने की परिवर्तित अवधारणा की अनिवार्यताओं को शामिल किया गया है, बल्कि बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (उपरोक्त) में विनिर्माण लागत और विनिर्माण लाभ में अनुमेय वृद्धि को भी कानून में शामिल किया गया है।धारा 3 के प्रावधानों में अंतर्निहित मूल्य वर्धित कराधान की अवधारणा की शुरुआत से यह मौलिक परिवर्तन वास्तव में अधिनियम की धारा 4 (3) (डी) द्वारा परिभाषित 'लेनदेन मूल्य' की परिभाषा में प्रतिबिंबित होता है, इसके अलावा बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (उपरोक्त) में स्पष्ट रूप से अनुमत माना गया था।इस प्रकार, धारा 4 (3) (डी) 'लेन–देन मूल्य' को परिभाषित करती है, जिसमें विशेष रूप से विनिर्मित वस्तु की मंजूरी से पहले किए गए सभी मूल्य परिवर्धन को शामिल किया जाता है, जैसा किउदग्रहण के उद्देश्य के लिए ली जाने वाली कीमत के लिए अनुमेय परिवर्धन।

22. यह हमें एसर इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के लिए लाएगा।विवरणों को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है।सॉफ्टवेयर जो शुल्क मुक्त वस्तुएँ थीं और जिन्हें सॉफ्टवेयर के रूप में लेन–देन किया जा सकता था, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जोड़ा जाने लगा जो निकासी के उद्देश्यों के लिए एक शुल्क योग्य वस्तु थी।राजस्व ने कंप्यूटर के संबंध में 'लेनदेन मूल्य' के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मूल्य को ध्यान में रखने की

मांग की।इस न्यायालय ने राजस्व के रुख को यह विचार रखते हुए नकार दिया कि जब सॉफ्टवेयर एक अलग वस्तु के रूप में देय नहीं था तो कंप्यूटर की हार्ड–डिस्क में इसका समावेश सॉफ्टवेयर के शुल्क दायित्व को बदल नहीं सकता है ताकि शुल्क लगाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर की कीमत/मूल्य को जोड़ने की अनुमति दी जा सके।यह उपरोक्त संदर्भ में है कि एसर इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को समझना होगा।

इसके पैराग्राफ 84 में में की गई टिप्पणियाँ में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 4 (3) (डी) में परिभाषित 'लेन–देन मूल्य' अधिनियम की धारा 3 में निहित प्रभार प्रावधानों के अधीन होगा, जिसे ऐसी स्थिति के संदर्भ में देखा जाएगा जहां समग्र वस्तु के लेन–देन मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से किसी गैर–देय वस्तु के मूल्य को किसी देय वस्तु के मूल्य के साथ जोड़ा जाना चाहा गया था।यह वह सीमित संदर्भ है जिसमें अधिनियम की धारा 4 (3) (डी) की धारा 3 के अधीनता व्यक्त की गई थी और इसे समझना होगा।अगर ऐसा समझा जाए, तो हम यह नहीं समझते कि एसर इंडिया लिमिटेड (ऊपर) के पैराग्राफ 84 में व्यक्त किए गए विचारों को बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर)। के फैसले के विपरीत कैसे देखा जा सकता है।

23. तदनुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हुए संदर्भ का उत्तर देते हैं कि अधिनियम की धारा 4 में अनुध्यात शुल्क का माप शुल्क की प्रकृति से नियंत्रित नहीं होगा।जब तक उपाय और उदग्रहण की प्रकृति के बीच एक उचित संबंध स्पष्ट है, तब तक धारा 3 और 4 दोनों अपने–अपने क्षेत्रों में काम करेंगे जैसा कि ऊपर बताया गया है बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर) में व्यक्त विचार इस संबंध में कानून का सही स्पष्टीकरण है । इसके अलावा, हम मानते हैं कि संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा लागू की गई धारा 4 (3) (डी) में परिभाषित "लेन–देन मूल्य", 2000 के संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 3 में शुरू किए गए उत्पाद शुल्क के बदले हुए विवरण को प्रभावी बनाने के अलावा, बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (उपरोक्त) में अनुमत पुरानी धारा 4 के तहत 'सामान्य मूल्य' में सांविधिक रूप से जोड़ता है।वास्तव में, हमारा विचार है कि 'लेन–देन मूल्य' की वैधानिक अवधारणा और 'सामान्य मूल्य' के न्यायिक रूप से विकसित अर्थ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।

24. उपरोक्त उत्तर उन तीनों प्रश्नों में विशेष रूप से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को समझेंगे जिन्हें हमारी राय के लिए संदर्भित किया गया है।